

तीसगढ़ शासन
प्र प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2-4 / 2008 / 1-सूअप्र (पार्ट-1)

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

✓ समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/33/2007-आई.आर.
दिनांक 14 नवम्बर 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(कृ.के. राय)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 2-4 / 2008 / 1-सूअप्र (पार्ट-1)

रायपुर, दिनांक

सितम्बर, 08

प्रतिलिपि :-

- (1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा
पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक
1/33/2007-आई.आर. दिनांक 14 नवम्बर 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (2) सचिव, छोगो सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर,
रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

चत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन (सूचना अधिकार प्रक्रिया)	पंजी. क्रमांक 133 दिनांक 30-१-०८
---	-------------------------------------

संख्या-1/33/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

१३३

२१-०१-०८

नोर्थ लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 14 नवम्बर, 2007कार्यालय जापन

विषय: रिकार्डों को अद्यतन बनाना - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें।

DS/12 अधोस्त्राक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि रिकार्डों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह अधिदेशित करता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी रिकार्डों को समुचित रूप से तालिका बद्द और सारणी बद्द रूप में रखे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून, 2006) 'सूचना का अधिकार-सुशासन की मास्टर कुंजी' में यह टिप्पणी की है कि हमारी सूचना प्रणाली में रिकार्ड कीपिंग को नजरन्दाज करना सबसे कमज़ोर लिंक है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि एकबारगी उपाय के रूप में भारत सरकार, रिकार्डों को अद्यतन बनाने, आधारभूत संरचना में सुधार लाने, मैनुअल बनाने और लोक रिकार्ड कार्यालय स्थापित करने के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए सभी आधारभूत कार्यक्रमों की निधियों का 1% हिस्सा चिह्नित करे।

- रिकार्डों का रख-रखाव और अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित होता है। आधारभूत संरचना में सुधार करना और आवश्यक मैनुअल तैयार करना भी सतत प्रक्रियाएँ हैं जो संबंधित लोक प्राधिकारियों को जिम्मेदारी हैं। सभी लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने संसाधनों से अपने रिकार्डों का अद्यतन करें, उनकी आधारभूत संरचना में सुधार लाएं और आवश्यक मैनुअल तैयार करें। वे अपनी आवश्यकतानुसार इस आशय के लिए विशेष बजटीय प्रावधान कर सकते हैं।
- इस कार्यालय जापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(कृष्ण गोपाल चहल)
निदेशक

सेवा में,

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सरकरता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्याचन आयोग।
- केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।
- कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोटी रोड, नई दिल्ली।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, छहदुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

प्रति प्रवित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।